

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल (नैनीताल)

क्र० संख्या	विवरण	कुल कीमत (रु०)
01.	पुराना फर्नीचर, लोहा, प्लास्टिक, तांबा आदि का सामान।	----- -----

सैनिक स्कूल घोड़ाखाल (नैनीताल) में पुराने सामान की नीलामी हेतु निविदा की शर्तें

1. सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल में पुराने स्टोर के सामान (पुराना फर्नीचर, लोहा, प्लास्टिक, तांबा आदि) कबाड़, जहां है, जिस हालत में है, की निविदायें बंद लिफाफे में दिनांक 15 सितम्बर 2026 को 1500 बजे तक स्कूल के गेट नं०-02 के पास स्थित टेंडर बॉक्स में पहुंचनी अनिवार्य हैं जोकि उसी दिन दिनांक 15 सितम्बर 2026 को 1530 बजे सबकी उपस्थिति में खोली जायेगी।
2. निविदाकर्ता दिनांक 10 सितम्बर 2026 को प्रातः 1000 बजे से 1700 बजे के मध्य उक्त सामान का निरीक्षण कर सकता है।
3. निविदा प्रपत्र स्कूल कार्यालय से रु० 500/- नकद जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकर्ता को निविदा डालने से पूर्व रु० 4000/- बतौर धरोहर राशि के रूप में स्कूल में जमा करना होगा। जिस निविदाकर्ता की निविदा सबसे अधिक होगी, उसकी धरोहर राशि उपरोक्त सामान के विक्रय मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी। जो निविदाकर्ता निविदा का मूल्य कम लगाने के कारण निविदा प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे, उनकी धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया के बाद वापस कर दी जायेगी।
4. उपरोक्त सामान की न्यूनतम धनराशि रु०-----/- निर्धारित की गयी है। इससे कम धनराशि अंकित करने वाले निविदाकर्ता की निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
5. निविदायें खुलने पर उच्च धनराशि अंकित करने वाले निविदाकर्ता को 100 प्रतिशत धनराशि निविदा के दिन अर्थात् 15 सितम्बर 2026 को नकद अथवा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से स्कूल कार्यालय में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि के साथ निविदाकर्ता को अलग से व्यापार कर या अन्य कर भी स्कूल कार्यालय में जमा करना होगा। यदि निविदाकर्ता के द्वारा 100 प्रतिशत धनराशि उसी दिन जमा नहीं की जाती है तो उसके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और अगले निविदाकर्ता के नाम निविदा कर दी जायेगी अथवा स्कूल प्रशासन द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जायेगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में निविदाकर्ता किसी भी हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं होगा।
6. निविदा स्वीकृत होने के बाद निविदाकर्ता को उक्त सामान अगले 03 दिनों में हर हाल में स्कूल से उठाना होगा। यदि निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में सामान नहीं उठाया जाता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और इस संबंध में ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा।
7. सैनिक स्कूल घोड़ाखाल द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम बोली मान्य नहीं होगी।
8. निविदा में निविदाकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखा होना चाहिए तथा निविदा के लिफाफे के बाहर 'पुराने सामान की खरीद हेतु निविदा' भी लिखा होना चाहिए।

9. निविदा के दौरान किसी भी निविदाकर्ता द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप या अभद्रता की जाती है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के पास सुरक्षित है।

10. व्यापार कर या अन्य कर जमा करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

11. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के पास सुरक्षित है।

उपरोक्त उल्लिखित शर्तें मैंने भली-भांति पढ़ व समझ ली हैं इनके पालन करने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर—

नाम—

पता—

मोबाइल नं०—